

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित: 23 अप्रैल, 2014

निर्णय की तिथि: 1 मई, 2014

आप.अ. संख्या 272/2008

दिनेश

..... अपीलार्थी

द्वारा: श्री के.बी. एंडली, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री
एम.एल. यादव, श्री एम. शमीख और श्री
लोकेश चंद्र, अधिवक्तागण।

बनाम

राज्य

..... प्रत्यर्थी

द्वारा: सुश्री आशा तिवारी, अति.लो.अभि.

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर

निर्णय

01.05.2014

1. यह अपील, प्रतिदावा संख्या 1/03 में विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 13 मार्च 2008 के आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत है, जिसमें अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ('पी.सी. अधिनियम') की धारा 7 और 13(1)(घ) के सहपठित 13(2) के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था और दिनांक 17 मार्च 2008 के सजा के आदेश में उसे पी.सी. अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध के लिए दो वर्ष के लिए सश्रम कारावास ('आरआई') और 2,000 रुपये का जुर्माना, और भुगतान न होने पर

एक महीने की अवधि के लिए साधारण कारावास ('एसआई') भुगतान का आदेश दिया गया था। पी.सी. अधिनियम की धारा 13(1)(घ) सहपठित धारा 13(2) के तहत अपराध के लिए, अपीलार्थी को 2,000 रुपये के जुर्माने के साथ दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई, तथा भुगतान न करने पर दो महीने के साधारण कारावास ('एसआई') की सजा सुनाई गई।

2. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि शिकायतकर्ता, राधेश्याम (अभि.सा. 4) शॉप नंबर 280, सब्जी मंडी, दिल्ली में सोडा/कोल्ड ड्रिंक्स का व्यवसाय चला रहा था। अपीलार्थी दिनेश कुमार दिल्ली नगर निगम ('एमसीडी') के एस.पी. जोन में वैक्सीनेटर के रूप में कार्यरत था। अभि.सा. 4 के अनुसार, अपीलार्थी ने कोल्ड ड्रिंक यूनिट को सील न करने और शॉप का चालान न करने के लिए उससे 1,000 रुपये प्रति माह की रिश्त की मांग की थी। 17 जुलाई 2001 को, अपीलार्थी अभि.सा.4 की शॉप पर गया और 1,000 रुपये प्रति माह रिश्त की मांग की। बातचीत के बाद, उनके बीच यह सहमति बनी कि अभि.सा.4 500 रुपये देगा और अपीलार्थी रिश्त की राशि लेने के लिए 18 जुलाई 2001 को सुबह लगभग 11 बजे आएगा।

3. चूंकि अभि.सा.4 रिश्त देने के खिलाफ था, इसलिए वह भ्रष्टाचार विरोधी शाखा (ए.सी.बी.) के पास गया और पंच गवाह विनय कुमार (अभि.सा.8) की उपस्थिति में अपनी शिकायत (प्र.अभि.सा.4/ए) दर्ज कराई। अभि.सा.4 ने 100 रुपये का एक सरकारी मुद्रा ('जी.सी.') नोट तथा 50 रुपये के आठ जी.सी. नोट

प्रस्तुत किये। इंस्पेक्टर एम.एस. सांगा (अभि.सा. 7), छापा मारने वाला अधिकारी ('आरओ') ने अपनी छापा-पूर्व रिपोर्ट (प्र.अभि.सा. 4/बी) में जी.सी. नोटों की क्रम संख्या दर्ज की। आरओ ने जी.सी. नोट्स पर फिनोलफथेलिन पाउडर लगाया और अभि.सा. 4 और 8 को इसका प्रयोग दिखाया। इसके बाद, चिह्नित जी.सी. नोट्स अभि.सा.4 को दे दिए गए और उसने उन्हें अपनी शर्ट की बायीं जेब में रख लिया। अभि.सा.7 को निर्देश दिया गया था कि वह अभि.सा.4 के करीब रहे तथा अभि.सा.4 और अपीलार्थी के बीच की बातचीत को सुने और रिश्त की राशि दिए जाने के बाद संकेत दे।

4. 18 जुलाई 2001 को लगभग सुबह 10:30 बजे, आरओ, अभि.सा. 4, अभि.सा. 7, इंस्पेक्टर एनएस मिन्हास (अभि.सा. 6), जांच अधिकारी ('आईओ') और छापा मारने वाली टीम के अन्य सदस्य सरकारी वाहन में एसीबी (स्थान) से घटनास्थल के लिए रवाना हुए। सरकारी वाहन को घटनास्थल से कुछ दूरी पर मुख्य सड़क पर रॉबिन सिनेमा के पास छोड़ दिया गया, जिसमें अभि.सा.6 और ड्राइवर वाहन में ही थे। अभि.सा. 4 और अभि.सा.7, अभि.सा. 4 की पप्पू लेमन शॉप से सटी पप्पू बार्बर शॉप की ओर बढ़े। छापा मारने वाली पार्टी के अन्य सदस्यों ने उनका पीछा किया और उचित पोजीशन ले ली।

5. बताया जाता है कि दोपहर करीब 12:20 बजे अपीलार्थी कावासाकी बजाज मोटरसाइकिल पर वहां आया था। वह दोपहर 12:30 बजे बार्बर शॉप में घुसा। अभि.सा.4 ने अपनी गवाही में कहा कि अपीलार्थी उसकी शॉप पर आया और

उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा तथा एक कुर्सी पर बैठ गया। अभि.सा. 4 ने अपीलार्थी से रिश्त की राशि न मांगने का अनुरोध किया लेकिन अपीलार्थी ने अभि.सा. 4 से 1,000 रुपये प्रति माह की राशि का भुगतान करने पर जोर दिया; तब अपीलार्थी ने उसे 600 रुपये मासिक रिश्त देने को कहा लेकिन अभि.सा.4 ने जवाब दिया कि उसके पास सिर्फ 500 रुपये हैं और वह शेष 100 रुपये कुछ दिनों के बाद देगा। इसके बाद उसने चिह्नित जी.सी. नोट्स निकाले और अपीलार्थी को दे दिए, जिसने उन्हें अपने दाहिने हाथ से स्वीकार किया और अपनी शर्ट की बायीं जेब में रख लिया। उस समय, अभि.सा. 8 ने पूर्व-निर्धारित संकेत दिया और छापा मारने वाली पार्टी अंदर आ गई। आरओ ने अपनी पहचान बताई और अपीलार्थी को चुनौती दी।

6. अभि.सा.8 ने उपरोक्त बयान की आंशिक रूप से पुष्टि की। अभि.सा.8 ने अपने बयान में कहा है कि वह बार्बर शॉप में बैठा था जो अभि.सा.4 की शॉप के पास स्थित थी। इसके बाद जब अपीलार्थी आया और उसने अभि.सा.4 से बातचीत की तो वह उसे सुन नहीं सका। शॉप के बाहर शोर-शराबा मच गया और जब वह मौके पर पहुंचे तो वहां हाथ धोने और कागजात तैयार करने संबंधी कुछ कार्यवाही चल रही थी। उसने दावा किया कि उनकी मौजूदगी में अपीलार्थी के पास से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ।

7. अभि.सा.8 को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया तथा उससे प्रतिपरीक्षा की गई। तथापि, अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने स्वीकार किया कि लगभग 10:30 बजे

वह और अभि.सा.4, छापा मारने वाली पार्टी के सदस्यों के साथ ए.सी.बी. से निकले और सरकारी वाहन से रॉबिन सिनेमा पहुंचे तथा वह और अभि.सा.4, अभि.सा.4 की शॉप की ओर गए और वह (अभि.सा.8) बार्बर शॉप पर बैठ गया। हालाँकि, उसने अन्य घटनाओं से इनकार किया। उसने छापेमारी-पूर्व कार्यवाही और जब्ती ज़ापन पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की। उसने इस तथ्य को सही माना कि अपीलार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसकी व्यक्तिगत तलाशी ली गई थी तथा मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई थी।

8. जहां तक अभि.सा. 4 का प्रश्न है, उसने अपीलार्थी से जी.सी. नोट्स की बरामदगी की पुष्टि की। उसने यह भी पुष्टि की कि घटनास्थल पर हाथ धोने और अपीलार्थी की शर्ट की जेब धोने से इसके पानी का रंग गुलाबी हो गया था और धुलाई के बाद उसे साफ बोतलों में भरकर सील कर दिया गया था तथा लेबल लगा दिया गया था। अभि.सा.4 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बताया कि उसके पास कोल्ड ड्रिंक बनाने की यूनिट चलाने का कोई लाइसेंस नहीं था। उसने स्वीकार किया कि एमसीडी ने अतिक्रमण या स्वास्थ्य आधार पर उस पर कई बार चालान किया है। उसने बताया कि पुलिस ने उसे दस से अधिक मामलों में फंसाया है तथा दो मामलों में उसका अपने मकान मालिक के साथ सिविल न्यायालय में विवाद चल रहा है। अभि.सा.4 पर 12 आपराधिक मामलों में आरोप लगाया गया था। उसने इस बात को तो सही माना कि पुलिस ने उसे

इलाके का दुश्चरित्र घोषित किया था लेकिन दावा किया कि यह गलत घोषणा थी। हालाँकि, जहाँ तक छापेमारी की कार्यवाही का सवाल है, वह अडिग रहा।

9. साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने माना कि हालाँकि अभि.सा. 8 ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया था, फिर भी उसकी पूरी गवाही को अभिलेख से मिटाया नहीं जा सकता। इस सीमा तक कि उसने स्वीकार किया कि अभि.सा.4 ने 18 जुलाई 2001 को अपराह्न 3:30 बजे उसकी उपस्थिति में शिकायत (प्र.अभि.सा.4/ए) दर्ज की थी और इस सीमा तक कि उसने स्वीकार किया कि वह छापा मारने वाली पार्टी के सदस्यों के साथ घटनास्थल पर गया था और इसके अलावा इस सीमा तक कि उसने पुष्टि की कि अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया था और उसकी तलाशी ली गई थी, उसके साक्ष्य पर भरोसा किया जा सकता है।

10. विद्वान विचारण न्यायालय ने इसके बाद श्री देव राज (ब.सा. 1) के साक्ष्य पर चर्चा की, जिनकी अपीलार्थी द्वारा जांच की गई थी। यद्यपि ब.सा.1 ने कहा कि अपीलार्थी को अभि.सा.4 द्वारा ब.सा.1 की शॉप से ले जाया गया था, उक्त साक्ष्य अभि.सा.4 और आर.ओ. दोनों के स्पष्ट साक्ष्य से असंगत थे। तदनुसार, ब.सा.1 के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया गया। यह भी कहा गया कि आपराधिक मामलों में अभि.सा. 4 की संलिप्तता तब तक अप्रासंगिक है जब तक रिश्तत की मांग और प्राप्ति से संबंधित तथ्य स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ जाते।

11. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दोहराया कि पंच गवाह (अभि.सा. 8) के मुकर जाने तथा अभि.सा. 4 के आपराधिक पूर्ववृत्त के कारण, अपीलार्थी के अपराध को संदेह से परे साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। रिश्त की मांग और प्राप्ति के स्थान को लेकर अभि.सा. 4 और 8 के बयानों में भी विरोधाभास था। जबकि अभि.सा.4 ने कहा कि अपीलार्थी उसकी शॉप पर आया था और अभि.सा.8 वहां मौजूद था, अभि.सा.8 का बयान था कि वह बार्बर शॉप में था।

12. आर.ओ. अभि.सा.7 के साक्ष्य से यह देखा गया है कि अपीलार्थी ने बार्बर शॉप में प्रवेश किया तथा रिश्त की मांग और प्राप्ति वहीं हुई। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपीलार्थी को उसकी शर्ट की बायीं जेब में चिह्नित जी.सी. नोटों के साथ पकड़ा गया। हाथ और शर्ट की जेब दोनों धोने से गुलाबी रंग के हो गए। अभि.सा. 4 या 7 की प्रतिपरीक्षा में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे हाथ धोने, शर्ट को धोने से इसका रंग गुलाबी होने तथा अपीलार्थी को घटनास्थल पर ही गिरफ्तार करने के संबंध में उनके कथनों को गलत साबित किया जा सके।

13. दिलचस्प बात यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ('सीआर. पीसी') की धारा 313 के तहत अपने बयान में, अपीलार्थी ने अभि.सा. 4 की शॉप में होने से इनकार नहीं किया है। जब उनसे उनकी शर्ट की जेब से जी.सी. नोटों की बरामदगी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि "मेरी शर्ट पप्पू लेमन शॉप की बेंच पर पड़ी थी, क्योंकि मैं पहले से ही शिकायतकर्ता के साथ बातचीत कर

रहा था, क्योंकि उस क्षेत्र में मेरे मामा रहते हैं।" इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के अनुसार भी वह घटनास्थल पर मौजूद था। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, "मुझे एक व्यक्ति ने शॉप से बाहर बुलाया, जिसकी पहचान बाद में पता चली कि वह छापा मारने वाला अधिकारी था और शिकायतकर्ता उसी समय गायब हो गया जब उक्त छापा मारने वाले अधिकारी ने मुझसे मेरी शर्ट लाने को कहा, जो मैंने बेंच से उठाई थी। मुझे छापा मारने वाले अधिकारी ने मेरी शर्ट की जांच करने के लिए कहा क्योंकि मैंने शिकायतकर्ता से रिश्तत ली थी और जब मैंने अपनी शर्ट में हाथ डाला तो मुझे उसमें कुछ नोट मिले, जिन्हें छापा मारने वाले अधिकारी को सौंप दिया गया।

14. उपरोक्त स्पष्टीकरण एक बाद का विचार और वास्तव में एक बहुत ही कमजोर बचाव प्रतीत होता है। छापेमारी की कार्यवाही और अपीलार्थी से चिह्नित जी.सी. नोट्स की बरामदगी के संबंध में अभि.सा. 4 और 7 पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। जैसा कि विद्वान विचारण न्यायालय ने सही ढंग से बताया है, अभियोजन पक्ष ने सभी उचित संदेह से परे इस तथ्य को साबित कर दिया था कि अभि.सा. 4 ने शिकायत दी थी; कि चिह्नित जी.सी. नोट्स उसे अभि.सा.8 की उपस्थिति में दिए गए थे; कि अभि.सा. 4 और 8 छापा मारने वाली पार्टी के साथ घटनास्थल पर गए थे; जब अभि.सा.8 से संकेत मिलने पर छापा मारने वाली पार्टी वहां पहुंची तो अपीलार्थी की शर्ट की जेब में चिह्नित जी.सी. नोट पाए गए; अपीलार्थी को उसकी शर्ट की बायीं जेब से चिह्नित

जी.सी. नोट बरामद होने के बाद गिरफ्तार किया गया, जो छापे से पूर्व की कार्यवाही में दर्ज नोटों से मेल खाता था।

15. अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि आरओ श्री सांगा स्वयं पी.सी. अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कुछ आपराधिक मामलों में अभियुक्त थे और उन्हें पी.सी. अधिनियम की धारा 13 (1) (घ) के साथ 13 (2) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए विद्वान विचारण न्यायालय के 20 मई 2011 के निर्णय द्वारा दोषी भी ठहराया गया था। यह भी बताया गया कि उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं।

16. न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में, वर्तमान मामले में अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य निर्विवाद है और स्पष्ट रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करता है। आरओ से संबंधित उपरोक्त तथ्य किसी भी तरह से 2001 में हुई छापेमारी की कार्यवाही पर प्रभाव नहीं डालते हैं और जिन्हें अभियोजन पक्ष द्वारा सभी उचित संदेह से परे साबित किया गया है।

17. अंत में, यह प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन के लिए मंजूरी देना कानून की दृष्टि से गलत था, क्योंकि मंजूरी ऐसे अधिकारी द्वारा दी गई थी जो ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं था। मामले के इस पहलू पर आक्षेपित निर्णय में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा चर्चा की गई है। मंजूरी आदेश को अभि.सा.1, श्री आनंद प्रकाश द्वारा साबित किया गया था। विद्वान विचारण न्यायालय ने कहा कि अपीलार्थी के लिए नियुक्ति और निष्कासन प्राधिकारी अतिरिक्त आयुक्त,

एमसीडी थे और अभि.सा.1 को प्रासंगिक समय पर अतिरिक्त आयुक्त के रूप में तैनात किया गया था। इसलिए, जहां तक मंजूरी आदेश का सवाल है, न्यायालय इसमें कोई अवैधता नहीं पाता है।

18. उपर्युक्त कारणों से, यह न्यायालय विद्वान विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई भी आधार खोजने में असमर्थ है।

19. जहां तक सजा का सवाल है, न्यायालय ने पाया कि पी.सी. अधिनियम की धारा 7 और 13(1)(घ) के सहपठित 13(2) के तहत प्रत्येक अपराध के लिए दो वर्ष के सश्रम कारावास और 2,000 रुपये के जुर्माने की सजा पूरी तरह वैध है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

20. तदनुसार अपील खारिज की जाती है, लेकिन जुर्माने के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता। अपीलार्थी को शेष सजा काटने के लिए तत्काल हिरासत में लेने का निर्देश दिया जाता है।

21. विचारण न्यायालय के अभिलेख के साथ इस आदेश की प्रमाणित प्रति विशेष संदेशवाहक द्वारा संबंधित विचारण न्यायालय को तत्काल सौंपी जाएगी।

न्या. एस. मुरलीधर

01 मई 2014

टीपी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दोबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।